बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

सूचना।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत हस्तशिल्प के विकास एवं प्रोत्साहन तथा शिल्पियों से उनके हस्तशिल्प उत्पाद की खरीददारी हेतु उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना बिहार सरकार का अधिकृत संस्थान है। संस्थान आपके हस्तशिल्प उत्पादों को बिहार तथा भारत के अन्य राज्यों में बिक्री करवाने के लिए बाजार उपलब्ध कराता है एवं बिहार के शिल्पियों को विपणन की सुविधा भी प्रदान करता है।

संस्थान द्वारा खादी मॉल, बिहार म्यूजियम स्थित सौवेनीर शॉप, बिहार इम्पोरियम तथा अन्य आउटलेट के माध्यम से शिल्पियों के उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेले/ प्रदर्शनी/ समारोह के माध्यम से शिल्पियों को उनके हस्तशिल्प उत्पादों के प्रोत्साहन एवं बिक्री की सुविधा प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा अपने ई–कॉमर्स वेब पोर्टल एवं अन्य लोकप्रिय ऑनलाईन प्लेटफार्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के द्वारा शिल्पियों के हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

बिहार के शिल्पी पहचान पत्र धारक शिल्पियों को यह सूचित किया जाता है कि हस्तशिल्प से संबंधित अपने उत्पादों को विभिन्न प्लेटफॉम पर बिक्री हेतु संस्थान को दे सकते हैं। शिल्पियों से उनके हस्तशिल्प उत्पाद गुणवत्ता जाँच के बाद ही लिया जायेगा एवं बिक्री के उपरांत निर्धारित दर पर शिल्पियों को भुगतान किया जायेगा।

ह०
निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक 455 / पटना, दिनांक - 07/04/022

प्रतिलिपि :– 1. शिल्पी पहचान पत्र धारक सभी शिल्पियों को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री राहुल कुमार, आई.टी. एण्ड एम.आई.एस एक्सपर्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

Vikash/Letter B-475